

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 10664 /FP/UK/ROAD/9004/2014 :देहरादून:दिनांक: 27 सितम्बर, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय-एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:-जनपद-अल्मोड़ा में चमड़खान-कनोली-शैलापानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.398 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/144/2015/एफ0सी0/1520 दिनांक 08-10-2015

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पातन किये जाने वाले वृक्षों के 10 गुना अर्थात् 380 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 3,80,000.00 (रु० तीन लाख अस्सी हजार) वन विभाग के पक्ष के जमा किया जा चुका है।
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एन०पी०वी० की देय धनराशि रु० 3,36,310.00 (रु० तीन लाख छत्तीस हजार तीन सौ दस) वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण-पत्र दिया गया है कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी की जाती है तो बढ़ी हुई दर से धनराशि जमा कर दी जायेगी। एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-1)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार देय धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिए गये डिमाण्ड नोट के आधार पर ऑन लाईन जमा की गयी है। (संलग्नक-2)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-3)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार) 116

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :- /FP/UK/ROAD/9004/2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, जनपद-अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत।

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

जमा का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में चमड़खान-कनौली-सैलापानी मोटर मार्ग का नव निर्माण। (0.398 हे०)

प्रमाण-पत्र

✓ प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु सक्षम स्तर से N.P.V. में बढ़ोत्तरी की गयी तो बड़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा जमा करा दी


निर्वाह अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

2/4/2016

NEFT

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 02-02-2016	
Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	ROAD90042014982
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division P.W.D., Ranikhet Almora
Amount(In Rs)	716310/-
Amount in Words :Seven Lakh Sixteen Thousand Three Hundred and Ten Rupées Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD90042014982
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

State Bank of India Ranikhet
आर्य समाज बैंक, रानीखेत - 0704

प्रमाणित
रानीखेत [अरुणचल]

Signature

Rakesh Sah
PF No. : 2501017

UTR NO.
SBIN 816061560903

State Bank of India Ranikhet
आर्य समाज बैंक, रानीखेत - 0704

Rakesh Sah
PF

5-1

का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में चमड़खान-कनौली-सैलापानी मोटर मार्ग
का नव निर्माण।(0.398हे०)प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क
के दोनों ओर किनारों तथा (Central verge) पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग
की देख-रेख में Strip Plantation किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत